परिपत्र संख्या-वि.अनु.शा.-2020-21/ 735 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 2021018 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वि.अनु.शा. अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 सितम्बर, 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि.अनु.शा.),

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्य0/वि0अनु0शा0/कार्पोरेट),

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर,

वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- प्रवर्तन सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्राय: यह देखा जा रहा है कि कूटरचित अथवा फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्रान्त अन्दर एवं प्रान्त के बाहर पंजीयन प्राप्त करने के पश्चात बोगस एवं अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना प्रान्तीय पंजीकृत व्यापारियों को टैक्स इनवायस जारी की जाती है जिसके आधार पर क्रेता व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 का दावा / उपयोग किया जाता है। माल की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किए बिना आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं है। अस्तित्वहीन विक्रेता व्यापारियों द्वारा माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी की गई टैक्स इनवायसेस के सम्बन्ध में क्रेता व्यापारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने की हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान एवं प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की मानीटरिंग के उद्देश्य से एक माड्यूल "Enforcement Alert System" विकसित कराया गया है।

प्रान्त बाहर की अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा प्रान्तीय पंजीकृत क्रेताओं को इनवायस जारी किए जाने सम्बन्धी सूचना मुख्यालय पर प्राप्त होती है जिसे सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता रहा है। अब प्राप्त सूचनाओं में प्रान्तीय क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पंजीकृत व्यापारियों की सूचना "Enforcement Alert System" माड्यूल से सीधे सम्बन्धित खण्ड के प्रॉपर आफीसर की लागिन पर उपलब्ध कराई जाएगी। सम्बन्धित प्रॉपर आफीसर द्वारा व्यास सेन्ट्रल पर उपलब्ध विभागीय सेवाओं (Departmental Services) के मेन्यू में एम.एस./एस.आई.बी. माड्यूल में "Enforcement Alert System" के लॉगिन पर उपलब्ध सूचनाओं के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही सम्पादित करते हुए कृत कार्यवाही की प्रविष्टियां इस मेन्यू में अद्यतन की जाएंगी। खण्ड अथवा प्रवर्तन इकाइयों द्वारा जांच में प्रान्तीय किसी फर्म के अस्तित्वहीन पाए जाने पर अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की सूचना का आदान-प्रदान इसी मेन्यू से किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया / किया जाय।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।